"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2006—वैशाख 15, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अरूण किशोर अग्रवाल पिता श्री रामअवतार अग्रवाल निवासी ओमपलाश काम्पलेक्स के सामने, प्रथम तल, मकान नं. 14/412- विद्यानगर बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं जो कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अरूण अग्रवाल कर लिया हूं जिसके संबंध में संबंधित प्राधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे अरूण अग्रवाल पिता श्री रामअवतार अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

अरूण किशोर अग्रवाल
पिता श्री रामअवतार अग्रवाल
निवासी- मकान नं. 14/412, प्रथम तल
ओम पलाश काम्पलेक्स के सामने, मेन रोड
विद्यानगर, बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

अरूण अग्रवाल
पिता श्री रामअवतार अग्रवाल
निवासी- मकान नं. 14/412, प्रथम तल
ओम पलाश काम्पलेक्स के सामने, मेन रोड
विद्यानगर, बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सत्ताराज आत्मज स्वर्गीय गनीराज निवासी- क्वार्टर नं. 23 एफ., सड़क नम्बर 54, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं जो कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर संक्षिप्त नाम एस. राज आत्मज स्वर्गीय गनीराज कर लिया हूं जिसके संबंध में संबंधित प्राधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे एस. राज आत्मज स्वर्गीय गनीराज के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

सत्ताराज
आत्मज स्वर्गीय गनीराज
निवासी- क्वा. नं. 23 एफ., सड़क नं. 54
जोन- 2, खुर्सीपार, भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

एस. राज
आत्मज स्वर्गीय गनीराज
निवासी- क्वा. नं. 23 एफ., सड़क नं. 54
जोन- 2, खुर्सीपार, भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पारथदास चन्द्राकर आत्मज श्री गुमान दास चन्द्राकर जाति सतनामी निवासी वार्ड नं. 35, पुराना कांजी हाउस के पीछे, नंदई, राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं जो कि मैं अपने उपनाम (सरनेम) को परिवर्तित कर पारथ दास चंदानिया आत्मज श्री गुमानदास चंदानिया कर लिया हूं जिसके संबंध में संबंधित प्राधिकारी का शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे पारथदास चंदानिया आत्मज श्री गुमानदास चंदानिया के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

पारथदास चन्द्राकर
आत्मज श्री गुमानदास चन्द्राकर
निवासी - वार्ड नं. 35, पुराना कांजी हाउस
के पीछे, नंदई, राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

पारथदास चंदानिया
आत्मज श्री गुमानदास चंदानिया
निवासी - वार्ड नं. 35, पुराना कांजी हाउस
के पीछे, नंदई, राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2006

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 02/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2006-2007.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से बिलासपुर जिले के विभिन्न विकासखंडों में 125/115 मिमी व्यास के नलकूपों के केलिक्स ड्रिलिंग रिंग/मैकेनिकल रोटरी रिंग द्वारा खनन एवं उससे संबंधित कार्यों हेतु मुहरबंद निविदायें प्रपत्र-अ (प्रतिशत दरों पर) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (छ. ग.) में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शाये समय सारणी एवं विवरण अनुसार आमंत्रित की जाती है. कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के नलकूप खनन की Unitfied Schedule of rates for Construction of Tube wells and alied works with effect from 17-5-2002 जो इस विभाग में दिनांक 1-10-2004 से प्रभावशील तथा निविदा जारी होने की तिथि तक पूर्ण संशोधित लागू होगा.

1.0 **समय सारिणी (निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का विवरण निम्नानुसार है)**

1.1	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु कार्यपालन अभियंता लो. स्वा. यां. खंड बिलासपुर के कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि.	:	8-5-2006 (कार्यालयीन अवधि)
1.2	खंड कार्यालय से कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	:	10-05-2006 (कार्यालयीन अवधि)
1.3	निविदा प्रपत्र एवं अमानत की राशि अलग लिफाफे में जमा करने का स्थान कार्यपालन अभियंता लोक स्वा. वि. खंड कार्यालय बिलासपुर (छ. ग.) में अंतिम तिथि (केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से)	:	15-05-2006 (3.00 बजे अपरान्ह)
1.4	खंड कार्यालय में निविदा खोलने की अंतिम तिथि	:	16-05-2006 (प्रात: 11.30 बजे से)

कार्य का विवरण निम्नानुसार है (आदिवासी विकासखंडों के तहत)

बिलासपुर जिले के विभिन्न विकासखंडों में 125/115 मि. मी. व्यास के 60 मीटर गहरे नलकूपों का खनन केवल केलिक्स ड्रिलिंग रिंग/मैकेनिकल रोटरी रिंग के द्वारा कड़े पत्थर एवं धसकने वाले स्ट्रेटा अथवा एवं असमान स्ट्रेटा अथवा परत दर परत भिन्ना युक्त में नलकूप का खनन/हैण्डपंप स्थापना एवं यूनीसेफ टाइप डिजाईन के अनुसार प्लेटफार्म का निर्माण कार्य आदि. (संलग्न शेडयूल के अनुसार एवं समूहवार ग्रामों की सूची).

समूह क्र.	विकासखंड	नलकूपों की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	निविदाकारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कोटा	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
2.	कोटा	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
3.	कोटा	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	कोटा	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
5.	तखतपुर	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
6.	तखतपुर	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
7.	तखतपुर	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
8.	तखतपुर	07	1.40	2000/-	300/-	4 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
9.	लोरमी	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
10.	लोरमी	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
11.	लोरमी	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
12.	मुंगेली	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
13.	मुंगेली	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
14.	गौरेला	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
15.	गौरेला	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
16.	मरवाही	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.
17.	मरवाही	05	1.00	2000/-	300/-	3 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर.

विशेष टीप -

(1) कार्य में लगने वाली सामग्री जैसे केसिंग पाईप, राईजर पाईप, हैण्डपंप सेट इत्यादि विभागीय भंडार से निःशुल्क प्रदान किया जावेगा.

2. जिन ठेकेदारों ने पूर्व स्वीकृत दर के अनुसार अनुबंध नहीं किये हैं, एवं कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ऐसे ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र प्रदान नहीं दिया जावेगा.

टीप - 1. निविदा की समस्त शर्तें मुख्य निविदा का हिस्सा होगी एवं अनुबंध का हिस्सा बनेगा. निविदा से संबंधित पूर्ण विवरण एवं शर्तें निविदाकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि (शासकीय अवकाश को छोड़कर) प्राप्त की जा सकती है. निविदाकार निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्ण स्थल से अवश्य अवगत हो लेवें. कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 3 दिन के अंदर निविदाकार को मशीनं कार्य स्थल में लगाना होना अन्यथा कार्यादेश/अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा.

2. निविदा प्रपत्र केवल केलिवस मशीन के लिए पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किये जायेंगे.

सामान्य शर्तें

1. निविदा में उल्लेखित ग्राम/बसाहट अपरिवर्तन शील है. निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले ग्राम/बसाहटों का सर्वेक्षण कर सुनिश्चित कर लेवें कि उनके पास उपलब्ध मशीन के द्वारा नलकूप खनन किया जाना संभव है. कार्य स्थल तक मशीन पहुंचाने हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय से पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा.

2. केसिंग पाईप की ढुलाई एवं नलकूपों में उतारने के कार्य व चबूतरा (प्लेटफार्म) जाली, सोकेज पिट इत्यादि निर्माण होने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया जावेगा.

3. नलकूप निर्माण सफल नलकूपों पर हैण्डपंप स्थापना व प्लेटफार्म निर्माण के पश्चात् ही भुगतान आवंटन/साख पत्र उपलब्ध होने पर किया जावेगा.

4. सफल नलकूपों के लिए ढक्कन की मोटाई मजबूत होनी चाहिए जो कि 7.5 मिली. से कम न हो तथा आधी लंबाई में चुडियों के साथ 6 मिली. के नटबोल्ट होना चाहिए.

5. कार्य में लगने वाला सीमेंट ठेकेदार को स्वयं क्रय कर कार्य में लगाना होगा. सीमेंट का प्रदाय आई. एस. आई. ओ. पी. सी. सीमेंट I.S.A. 269/75 उन संशोधित लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

6. निविदा प्रपत्र हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ निविदाकार को संबंधित श्रेणी तथा आयकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट तथा इस प्रकार के कार्यों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियां अभी प्रमाणित कर संलग्न करनी होगी.

7. उचित अमानत राशि शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिभूमि के रूप में कार्यपालन अभियंता लोक स्वा. यां. बिलासपुर के नाम से बनवा कर अलग लिफाफे में जमा करना आवश्यक है. बिना अमानत राशि की निविदा स्वीकार्य नहीं की जावेगी. अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में नहीं ली जावेगी.

8. निविदा को बिना पूर्व सूचना व कारण बताये स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी होगा.

9. निविदा दर पर वैधता निविदा खुलने की दिनांक से 120 दिन तक वैध रहेगी.

10. डाक द्वारा निविदा प्रमाण-पत्र मंगाये जाने पर डाक शुल्क रु. 50 प्रति समूह अलग-अलग आवेदन के साथ जमा करना होगा. समय पर निविदा प्रपत्र न मिलने की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

11. जिस निविदा दरें स्वीकृत की जावेंगी सूचना देने की दिनांक से 3 दिन के अंदर वांछित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा. अन्यथा राशि राजसात कर निविदा निरस्त मानी जायेगी.

12. कार्यादेश तिथि से 3 दिन के अंदर कार्य स्थल पर वांछित मशीन लगाना अनिवार्य है अन्यथा कार्यादेश निरस्त माना जावेगा.

13. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जावेगी.

14. ठेकेदार द्वारा सामान्यत: नलकूप खनन कार्य 60 मीटर गहराई तक किया जावे परन्तु पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त न होने पर 60 मीटर से अधिक गहराई तक नलकूप खनन कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा लिखित अनुमति दिये जाने पर ही कराया जावेगा.

15. संबंधित ड्रिलिंग ठेकेदार ड्रिलिंग समाप्त होने पर तथा नलकूप के सफल होने पर नलकूप के पानी की फिजिकल तथा केमिकल जांच हेतु पानी का सेम्पल लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला तक दायित्व स्वयं के व्यय पर ठेकेदार का होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रयोग शाला को एवं कार्यालय में देना होगा.

16. प्रत्येक नये निर्मित जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता की जांच करना अनिवार्य है. पानी की गुणवत्ता की जांच प्लेटफार्म निर्माण एवं हैण्डपंप स्थापना के बाद ही कार्य का भुगतान किया जावेगा.

17. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

18. निविदा सूचना छ. ग. के बेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त निविदा विज्ञप्ति ई-मेल के माध्यम से Pramarao @ c.g.nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

19. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

20. जमीनी सतह से न्यूनतम 9.00 मीटर गहराई तक केसिंग पाईप लोवरिंग करना अनिवार्य है.

आर. के. गेंदले
कार्यपालन अभियंता
लोक स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी डौण्डीलोहारा

प्रारूप-पांच

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (95) [(95) का 30] की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोकन्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

डौंडीलोहारा, दिनांक 8 मार्च 2006

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/327/बी-1/अविअ/06.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है, कि अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (95) [(95) का 30] की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं लोक न्यास पंजीयक डौण्डीलोहारा जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक .... को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(स्टॉक पंजी के अनुसार चल सम्पत्ति का विवरण)

(1)	चल संपत्ति	:	बिजली का सामान	-	2500/-
			प्रचार सामग्री	-	2100/-
			माईक सेट टेपरिकार्डर आदि	-	2500/-
			फर्नीचर	-	2000/-
			बर्तन	-	4000/-
			पूजा सामान	-	715/-
			साहित्य	-	20000/-
			टोटल	-	33815/-

एवं नगद राशि कैश बुक के अनुसार.

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/241/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री सुरेश गोयल आत्मज श्री हरिराम गोयल, रविनगर, रायपुर एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध मे कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 28-4-2006 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री जयनारायण हरिराम गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	बैंक आफ बरोदा रायपुर, खाता नं. 11594, राशि 12184.00 (बारह हजार एक सौ चौरासी).
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम रामपुर प.ह.नं. 104 में 6.54 एकड़ भूमि

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर

फार्म-चौथा

नियम - 5 (1)

जगदलपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

प्र. क्र. 2/बी-113/2005-06.—चूंकि श्री लेखराम साहू, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, धरमपुरा तहसील-जगदलपुर के द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट, गायत्री शक्ति रोड, जगदलपुर पीठ धरमपुरा रोड, जगदलपुर में उल्लिखित संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन आवेदन किया गया है.

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में मेरे द्वारा तारीख 1-5-06 को विचार किया जावेगा. उक्त न्यास संपत्ति संबंधीत मामलों में किसी प्रकार का हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जों कोई आपत्ति उठाना चाहे या सुझाव देना चाहे, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपने लिखित बयान की दो प्रतियां बनाकर देवें और उक्त तिथि को मेरे सामने या तो स्वयं या किसी वकील या अभिकर्ता के जरिए उपस्थित हों. उक्त कालावधि बीत जाने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट, गायत्री शक्तिपीठ, धरमपुरा जगदलपुर धरमपुरा रोड, जगदलपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	रु. 1776213/-
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम अघनपुर रा. नि. मंडल जगदलपुर (अ) स्थित भूमि ख. क्र. 16/3 रकबा 0.15 एकड़ (परि. भूमि.) एवं इमारत.

नीलकंठ टीकाम,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर (छ. ग.)

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

क्र. क/वाचक-2/अ.वि.अ./2006.—लोक न्यासों के पंजीयक बिलासपुर जिला के समक्ष जैसा कि सिन्घई लख्मी चंद मेमोरियल ट्रस्ट न्यास सिन्घई लख्मी चंद मेमोरियल ट्रस्ट, "लख्मी टावर्स", त्रिवेणी भवन के पास, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ. ग.) तहसील बिलासपुर ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 29-5-2006 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना में प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपयुक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	सिंघई लख्मी चंद मेमोरियल ट्रस्ट न्यास सिन्घई लख्मी चंद मेमोरियल ट्रस्ट, "लख्मी टावर्स", त्रिवेणी भवन के पास, व्यापार विहार, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

[छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 (2) तथा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक - क/अ.वि.अ./2006.—चूंकि बी. डी. खत्री, अध्यक्ष विपश्यना साधना चेरिटेबल ट्रस्ट बिलासपुर पता-ए-34 विनोबानगर बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर ने नीचे अनुसूची में अंकित संपत्ति को छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे अंकित है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र शासन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषितकर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल, अचल संपत्ति के विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	विपश्यना साधना चेरिटेबल ट्रस्ट बिलासपुर छ. ग. ए-34 विनोबानगर बिलासपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	बैंक आफ महाराष्ट्र की बिलासपुर शाखा में सेविंग एकाउंट नं. 12565 जिसमें वर्तमान में 34068/रुपये जमा है.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.